



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) समीक्षा बैठक
दिनांक 2 व 3 जनवरी 2012
कार्यवाही विवरण

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 02-03 जनवरी 2012 को राज्य मुख्यालय, भोपाल में आयोजित हुई । बैठक में राज्य मुख्यालय के निम्न पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई—

01. श्री जी.आर.शर्मा	राज्य सचिव
02 श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर,	संयुक्त राज्य सचिव एवं एस.टी.सी.(जी).
03. डॉ० आर.एस.तिवारी	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
04 श्री प्रकाश दिसौरिया	एस.ओ.सी.(परियोजना)
05. श्रीमती चन्द्रकांता उपाध्याय	एस.ओ.सी. गाइड
06. श्री डी.पी. मिश्रा	एस.ओ.सी. स्काउट
07. श्री बी.एल.शर्मा	एस.टी.सी.(एस)
08. श्री काजी एच सिद्धिकी	ए.एस.ओ.सी.(एस)

I युवा कार्यक्रम (गतिविधि)

1— पिछली बैठक का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा एस0ओ0सी0(स्काउट/गाइड) द्वारा निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गई —

अ— दल गठन :-दल गठन अभियान पर चर्चा करते हुये एस0ओ0सी स्काउट ने कहा कि ए0एस0ओ0सी0 से प्रतिमाह जानकारी माँगी जा रही है किन्तु किसी भी संभाग से प्रपत्रानुसार जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

→निर्णय :- इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दिनांक 15 मार्च 2012 तक संपूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजेंगे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0

ब— संभागीय सेमीनार :- रीवा, ग्वालियर, चम्बल, शहडोल, जबलपुर, उज्जैन ने जानकारी दी है कि उनके संभाग में संभागीय स्काउटर-गाइडर सेमीनार का आयोजन हुआ है जबकि शेष संभागों में नहीं हुआ है ।

→निर्णय :- चयनित 20 दलों के कितने स्काउटर-गाइडर को सम्मिलित कराया गया है सूची दिनांक 15 जनवरी 2012 तक राज्य मुख्यालय को भेजे एवं जनवरी-फरवरी माह में प्रत्येक जिले में ए.एस.ओ.सी. जाकर जिला स्तर पर समीक्षा कर 20 दलों के स्काउटर-गाइडर के साथ बैठक कर प्रगति की रिपोर्ट देवें ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0

स— स्टेट चीफ कमिश्नर शीलड प्रतियोगिता :- एस0ओ0सी0गाइड द्वारा सत्र 2010-2011 में प्राप्त लॉगबुक की जानकारी देते हुये समस्त ए0एस0ओ0सी0 से जानकारी चाही गई कि 4 जिले ग्वालियर, इन्दौर, धार व सिवनी से लॉगबुक प्राप्त हुई है शेष जिलों से प्राप्त नहीं हुई है ।

→निर्णय :- सर्वनुमति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष पूरे जिलों से लॉगबुक इस प्रतियोगिता हेतु अवश्य भिजवायेगें । इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जावे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0

द- कार्ययोजना, कार्यप्रतिवेदन व पांच बिन्दु की जानकारी :- एस0ओ0सी0-एस0 ने अवगत कराया कि अधिकांश डी0ओ0सी0 की मासिक कार्ययोजना प्रतिवेदन एवं पांच बिन्दु की जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है साथ ही ए0एस0ओ0सी0 द्वारा मासिक कार्ययोजना प्रतिवेदन भी स्वीकृत नहीं किया जा रहा है जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल रही है ।

→ निर्णय :- सभी ए0एस0ओ0सी0 एवं डी.ओ.सी. मासिक कार्य योजना एवं प्रतिवेदन में 05 बिंदुओं की प्रगति को शामिल करें अन्यथा इसे मान्य नहीं किया जावेगा । प्रतिवेदन में लक्ष्य एवं पूर्ति स्पष्ट रूप से अंकित की जावे ।

कार्यवाही

ए0एस0ओ0सी0

य- चयनित 20 दलों के निरीक्षण व एडवांसमेन्ट की जानकारी - एस0ओ0सी0.गाइड द्वारा 20 दलों के एडवांसमेन्ट की जानकारी निर्धारित प्रोफार्म में माँगी गई थी निर्धारित प्रोफार्म में कोई भी ए0एस0ओ0सी0 जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके ।

→ निर्णय :- सभी ए0एस0ओ0सी0 ने निर्णय लिया कि हमें प्रोफार्मा पुनः उपलब्ध करा दिया जावे। हम दिनांक 15 फरवरी 2012 तक पूर्तिकर राज्य मुख्यालय को भेज देंगे । साथ ही उन्हें उक्त प्रोफार्मा डी.ओ.सी. को उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देश दिये गये ।

20 दलों से सम्पर्क सूची :- एस0ओ0सी0 गाइड द्वारा ए0एस0ओ0सी0 से दलों के सम्पर्क की जानकारी चाही गई । ए0एस0ओ0सी0 द्वारा निम्नानुसार जानकारी दी गई-

जबलपुर संभाग ने जिला मण्डला में 2 एवं सिवनी में 3 कुल 5 दलों का

इन्दौर संभाग ने जिला खण्डवा में 5 व धार जिले में 5 दलों का

सागर संभाग ने सागर जिले में 12 दलों का

उज्जैन संभाग ने शाजापुर में 2 व रतलाम 3 कुल 5 दलों का

होशंगाबाद संभाग ने बैतूल जिले में 7 दलों का

शहडोल संभाग ने शहडोल में 4, उमरिया-5, डिडौरी-5, अनुपपुर-3 दलों का

मुरैना संभाग ने मुरैना-14, भिण्ड-7

भोपाल संभाग ने भोपाल-4, सीहोर-4, राजगढ़-11 दलों का

रीवा संभाग ने रीवा-4, सिंगरौली-3 दलों का

उक्त स्थिति देखकर स्पष्ट है कि ए.एस.ओ.सी. द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

→ निर्णय :- सभी ए0एस0ओ0सी को निर्देश दिये गये कि जनवरी माह में प्रत्येक जिले में चयनित 20 दलों के स्काउटर/गाइडर की बैठक ले एवं प्रतिमाह पांच विद्यालयों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी नियमित रूप से भेजेंगे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0

ल- आदर्श दल :-एस0ओ0सी0गाइड द्वारा आदर्श दल की जानकारी माँगी गई जो ए0एस0ओ0सी0 द्वारा नहीं उपलब्ध करायी गई । जिस पर पुनः एस0ओ0सी0गाइड द्वारा निर्देश दिया गया कि चयनीत 20 दलों में से प्रत्येक विभाग के लिये एक-एक आदर्श दल का गठन किया जावे । इस कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में समस्त बिन्दुओं की पूर्तिकर सहपत्रों के साथ आवेदन राज्य मुख्यालय को भेजे ।

→ निर्णय :- निर्णय लिया गया कि दिनांक 31 मार्च 2012 तक अनिवार्य रूप से जानकारी रा0मु0 भेज दी जावेगी ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0

व- जिला बैज समिति व स्वतंत्र परीक्षक :- एस0ओ0सी0गाइड द्वारा बैज समिति की बैठक के संबंध में चर्चा की गई कि जिलों में बैज कमेटी गठित है पर उनकी नियमित रूप से बैठक आयोजित नहीं हो रही है कुछ जिले आयोजित कर कार्यवाही विवरण राज्य मुख्यालय को प्राप्त हो रहे हैं ।

→ निर्णय :- सभी ए.एस.ओ.सी. को निर्देश दिये गये कि सभी जिलों में बैज समिति एवं स्वतंत्र परीक्षकों की नियुक्ति कर नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया जावे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

स- **प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता :-** एस0ओ0सी0गाइड द्वारा समस्त ए0एस0ओ0सी0 को जानकारी दी गई कि सत्र 2012-2013 के लिये पंजीयन फार्म समस्त पूर्ति कर दिनांक 31 मार्च 2012 तक भेज दिये जावे । ताकि उन पंजीयन राष्ट्रीय मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में भेजा जा सके । जिन दलों का पंजीयन 2011-2012 हुआ है उनकी सूची व लॉगबुक ए0एस0ओ0सी0 को भेज दी गई है उन दलों के स्काउटर/गाइडर की बैठक माह जनवरी 2012 में आयोजित करे तथा दिनांक 30 अगस्त 2012 तक लॉगबुक समस्त सहपत्रों के साथ आपके माध्यम से राज्य मुख्यालय को भिजवाये । साथ ही एस0ओ0सी0गाइड ने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2011 -2012 में जिन संभागों के पंजीयन फार्म विलम्ब से प्राप्त हुये थे उनको 2012-2013 में सम्मिलित कर उनका आवेदन फार्म पंजीयन राशि के साथ राष्ट्रीय मुख्यालय को भेज दिया गया है । अब राज्य मुख्यालय में कोई भी फार्म शेष नहीं है । सभी ए0एस0ओ0सी0 को उसकी सूची बैठक में उपलब्ध करायी गयी ।

➔ **निर्णय :-** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रतियोगिताओं में समस्त जिलों की सहभागिता कराई जाकर लॉग बुक समय सीमा में भेजी जावे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0

ष- **अलंकरण :-** अलंकरण हेतु जिलों में विगत 10 वर्षों से सक्रिय रूप से दल का संचालन कर रहें स्काउटर गाइडर के आवेदन अलंकरण हेतु प्रत्येक जिले से 50-50 फार्म अनिवार्य रूप से दिनांक 30/4/2012 क भेजा जावे ।

निर्णय :- अलंकरण समारोह हेतु प्रेषित आवेदनों का परीक्षण नियमानुसार करने के पश्चात् ही प्रेषण किया जावे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0

2- **युवा कार्यक्रम :-**

अ- **राज्य स्तरीय कार्यक्रम :-** एस0ओ0सी0 गाइड द्वारा अभी तक हुये राज्य, संभाग, जिला स्तरीय कार्यक्रमों की प्रस्तुती पावरपाइंट पर की गई । जो कार्यक्रम उनके द्वारा वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नहीं किये गये हैं ।

➔ **निर्देश :-** दिनांक 15 जनवरी 2012 तक यह जानकारी भेजी जावे जो कार्यक्रम किन्ही कारणों से समय सीमा में नहीं हुये उसके क्या कारण थे ? जानकारी प्रेषित करें और उसे कब करेगें, पुनः प्लान कर अवगत करावें ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0

तृतीय सोपान जांच शिविर-एस0ओ0सी0स्काउट द्वारा तृतीय सोपान जांच शिविर की जानकारी मांगी गई, जिसमें निम्नानुसार ए0एस0ओ0सी0 द्वारा जानकारी दी गई -

रीवा	संख्या 178+77	प्रतिवेदन जमा
जबलपुर	संख्या 82+72	प्रतिवेदन अप्राप्त प्रतिवेद28जनवरी 2012 तक भेजेगें
ग्वालियर	संख्या 53+40	----"-----
उज्जैन	संख्या 65+44	----"-----
इन्दौर	संख्या 39+16	----"-----
भोपाल	आयोजित होना है दि. 28 जनवरी से 2 फरवरी 2012	
होशंगाबाद	आयोजित होना है दिनांक 22 से 26 जनवरी 2012	
सागर	आयोजित होना है दिनांक 16 से 20 जनवरी 2012	
शहडोल	आयोजित होना है माह जनवरी 2012	
भोपाल	संख्या 24+24	अनुसूचित जाति
रीवा	संख्या 7+17	----"-----

ओ.एस.डी. द्वारा दिये गये निर्देश

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा युवा कार्यक्रम के संबंध में निर्देश देते हुये कहा गया कि बच्चों के एडवांस के लक्ष्य की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जावे अगर जो कार्यक्रम समय पर नहीं हो पाये हैं उन्हें पुनः कराया जावे । इन निर्देशों का एस.ओ.सी (स्काउट/गाइड) कडाई से पालन करें एवं प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

2. एडवांसमेन्ट पर अवश्य ध्यान दिया जावे । जिलेवार कब/स्काउट/ रोवर, तथाबुलबुल/ गाइड/रेंजर का प्रवेश से लेकर विभाग वार राष्ट्रपति अवार्ड/गोल्डन ऐरो तक सामान्य/ राज्य शिक्षा केन्द्र/ अनुसूचित जाति का एडवांसमेन्ट की जानकारी पृथक पृथक प्रस्तावित वर्ष 2011-2012 के कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्यपूर्ति के आधार पर अनिवार्य रूप से 15 फरवरी 2012 तक राज्य मुख्यालय को भेजी जावे । संभाग के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की सहभागिता सुनिश्चित की जावे । प्रत्येक कार्यक्रम की जानकारी राज्य मुख्यालय से जारी पत्रानुसार समस्त पूर्ति प्रतिवेदन, पेपर कटिंग, फोटोग्राफ्स के साथ निर्धारित समय सीमा में भिजवायें और कार्यक्रम आयोजित करें ।
 3. 20 दलों के एडवांसमेन्ट की जानकारी **निर्धारित प्रपत्र** में प्रत्येक मासिक प्रतिवेदन के साथ भेजे ।
 4. नवीन गाइड दल का गठन प्रत्येक विकास खण्ड में होना चाहिये । जानकारी से राज्य मुख्यालय को अवगत करावें ।
 5. प्रत्येक स्तर की जानकारी में स्काउट-गाइड की प्रतिभागिता पृथक-पृथक से अंकित की जावे ।
 6. पांच बिन्दु की जानकारी भेजते समय उसमें विशेष उपलब्धियों को जरूर अंकित करें ।
 7. समस्त ए0एस0ओ0सी0 मासिक कार्ययोजना, प्रतिवेदन में प्रतिमाह लक्ष्यपूर्ति के साथ जानकारी भेजे –
 - दल गठन अभियान
 - पांच बिन्दु की जानकारी
 - चयनित दलों के एडवांसमेन्ट की स्थिति, डी0ओ0सी0 का मासिक कार्ययोजना, प्रतिवेदन स्वीकृत कर एक प्रति राज्य मुख्यालय भेजे ।
- निर्देश :- उपरोक्त बिंदुओं की जानकारी की प्रगति से एस.ओ.सी.-एस एवं एस.ओ.सी.-जी. प्रति सप्ताह टी.एल. बैठक में उपलब्ध करावें एवं इन बिंदुओं के क्रियान्वयन की माँनीटरिंग नियमित करें।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0 / एस.ओ.सी.-एस / एस.ओ.सी.-जी

II वयस्क प्रशिक्षण (स्काउट)

1. **जी0आई0कोर्स/बेसिक स्काउट/बेसिक :-** जी0आई0कोर्स/बेसिक स्काउट/बेसिक कब कोर्स संबंधित चर्चा की गई जिससे उन्हें अवगत कराया गया कि निम्नानुसार प्रतिवेदन प्राप्ति/अप्राप्ति/कोर्स नहीं होने की जानकारी निम्नानुसार है –

संभाग/ जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
भोपाल	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
रायसेन	अप्राप्त	नहीं हुआ	अप्राप्त
राजगढ़	अप्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
विदिशा	अप्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
सीहोर	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
1. भोपाल संभाग चर्चानुसार जिला राजगढ़, विदिशा जिले में बेसिक स्काउट मास्टर कोर्स का आयोजन किया गया एवं रायसेन जिले के डाइट का कब मास्टर शिविर आयोजित किया गया । 2. जिला भोपाल, रायसेन, सिहोर में बेसिक स्काउट मास्टर शिविर का आयोजन नहीं किये गये । 3. संभाग स्तर पर बेसिक कब मास्टर शिविर नहीं हये । मार्च 2012 तक आयोजित करने का प्रयास किया जावेगा ।			
संभाग/ जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
होशंगाबाद	अप्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ

बैतूल	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
हरदा	अप्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
1. होशंगाबाद बैतूल, हरदा जिलों के बेसिक स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने थे लेकिन संख्या कम होने से निरस्त किये गये । आगामी तिथि में करने का प्रयास किया जावेगा । संभाग स्तर पर कब मास्टर शिविर आयोजित नहीं हुआ है । संभाग-भोपाल-होशंगाबाद, में संख्या कम होने के कारण शिविर निरस्त हुये डाइट:-डाइट में बेसिक कब/स्काउट मास्टर शिविर किसी भी संभाग/जिले में आयोजित नहीं हुये है ।			
संभाग/ जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
इन्दौर	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
धार	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
झाबुआ	अप्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
बडवानी	अप्राप्त	अप्राप्त	नहीं हुआ
खरगौन	प्राप्त	अप्राप्त	नहीं हुआ
खण्डवा	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
बुरहानपुर	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
अलीराजपुर	प्राप्त	अप्राप्त	नहीं हुआ
1. इन्दौर, धार, बडवानी, खण्डवा, खरगौन जिले में बेसिक स्काउट मास्टर शिविर आयोजित किये गये है । जिला बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर जिले में शिविर आयोजित नहीं हुये है । 2. बेसिक कब मास्टर शिविर आयोजित नहीं किया गया ।			
संभाग/ जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
ग्वालियर	प्राप्त	अप्राप्त	नहीं हुआ
दतिया	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
शिवपुरी	प्राप्त	अप्राप्त	नहीं हुआ
गुना	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
अशोकनगर	अप्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
1. ग्वालियर, दतिया, गुना जिले में बेसिक स्काउट मास्टर शिविर आयोजित किये गये है । शिवपुरी, अशोकनगर जिले में शिविर आयोजित नहीं हुये है । 2. बेसिक कब मास्टर शिविर आयोजित किया गया है ।			
संभाग/ जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
उज्जैन	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
शाजापुर	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
मदंसौर	अप्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
रतलाम	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
नीमच	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
देवास	अप्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
1. उज्जैन, मन्दसौर, रतलाम, नीमच, देवास में कोई शिविर आयोजित नहीं हुये । शाजापुर जिले में बेसिक स्काउट मास्टर शिविर आयोजित किया गया । 2. बेसिक कब मास्टर शिविर नहीं किया गया । ए.एस.ओ.सी. ने अवगत कराया कि प्रस्ताव 10 जनवरी 2012 तक भेज दिये जावेंगे ।			
संभाग/ जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
मुरैना	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
भिण्ड	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
शयोपुर	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
1. मुरैना संभाग में कोई शिविर आयोजित नहीं हुये है तीनों जिलों में 15 फरवरी 2012 तक किये जावेंगे निर्देश दिये गये । 2. कब मास्टर शिविर आयोजित नहीं किये गये ।			

संभाग / जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
रीवा	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
सतना	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
सीधी	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
सिगरौली	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
1. रीवा संभाग में सभी जिलों में बेसिक स्काउट मास्टर शिविर आयोजित किये गये 2. संभाग स्तर पर बेसिक कब मास्टर शिविर नहीं किया गया ।			
संभाग / जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
शहडोल	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
उमरिया	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
अनूपपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
डिण्डौरी	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
1. शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिण्डौरी में बेसिक स्काउट मास्टर शिविर आयोजित किये गये । 2. संभाग स्तर पर बेसिक कब मास्टर शिविर आयोजित नहीं हुये है ।			
संभाग / जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
सागर	प्राप्त	अप्राप्त	संभाग स्तर पर हुआ ।
दमोह	नहीं हुआ	नहीं हुआ	संभाग स्तर पर हुआ ।
टीकमगढ	नहीं हुआ	नहीं हुआ	संभाग स्तर पर हुआ ।
छत्तरपुर	नहीं हुआ	नहीं हुआ	संभाग स्तर पर हुआ ।
पन्ना	नहीं हुआ	नहीं हुआ	संभाग स्तर पर हुआ ।
1. सागर संभाग में दमोह, टीकमगढ, छत्तरपुर, पन्ना कोई शिविर आयोजित नहीं हुये हैं । 2. संभाग स्तर पर कब मास्टर शिविर आयोजित किया गया ।			
संभाग / जिला	जी.आई.कोर्स प्रतिवेदन	बेसिक स्काउट	बेसिक कब
जबलपुर	अप्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
बालाघाट	अप्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
मण्डला	प्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
सिवनी	अप्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
छिन्दवाडा	प्राप्त	प्राप्त	नहीं हुआ
नरसिंहपुर	अप्राप्त	नहीं हुआ	नहीं हुआ
कटनी	अप्राप्त	अप्राप्त	नहीं हुआ
1. जबलपुर, बालाघाट, कटनी, छिंदवाडा, सिवनी जिले में बेसिक स्काउट मास्टर शिविर आयोजित किये गये है । नरसिंहपुर व मण्डला जिले में नहीं हुये है । 2. संभाग स्तर पर बेसिक कब मास्टर शिविर आयोजित नहीं हुये है ।			

→ निर्णय :- समस्त ए०ए०ओ०सी० से चर्चा पश्चात् निर्णय लिया गया कि जिन संभागों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए वह दिनांक 15 जनवरी तक आवश्यक रूप से प्रतिवेदन भेजे एवं जिन संभागों में शिविर आयोजित नहीं हुये है उनके नवीन प्रस्ताव दिनांक 10 जनवरी 2012 तक भेज देंगे व शिविर जनवरी/फरवरी में आयोजित किये जावेंगे ।

कार्यवाही ए०एस०ओ०सी० / डी०ओ०सी०

2. एडवांस स्काउट मास्टर :-

→ निर्णय :- ए०एस०ओ०सी० को निर्देशित किया गया कि माह फरवरी 2012 तक समस्त शिविरों को आयोजित किये जावें एवं प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को भेजे जावें ।

कार्यवाही ए०एस०ओ०सी० / डी०ओ०सी०

राज्य स्तरीय कार्यक्रम (सामान्य):-

1. (सामान्य):-राज्य स्तरीय कार्यक्रम अन्तर्गत संख्या कम होने के कारण जो शिविर निरस्त हुये है शिविरार्थियों की सहभागिता संबंधी चर्चा की गई ए0एस0ओ0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने के कारण शिविरार्थी की सहभागिता नहीं हो पायी है ।
2. अनुसूचित जाति :- अनुसूचित जाति विभाग अन्तर्गत आयोजित शिविर बेसिक/एडवांस कब/स्काउट/रोवर लीडर /फ्लाक लीडर/गाइड कैप्टिन/रेंजर लीडर शिविर संबंधी समस्त ए0एस0ओ0सी0 से चर्चा की गई ।
➔ निर्णय :- ए0एस0ओ0सी0 को निर्देशित किया गया कि माह फरवरी 2012 तक समस्त शिविरों को आयोजित किये जावें ।

कार्यवाही एस0टी0सी0स्का0/गा0

3. राज्य शिक्षा केन्द्र :- राज्य शिक्षा केन्द्र अन्तर्गत आयोजित बेसिक/एडवांस कब/स्काउट/ /फ्लाक लीडर/गाइड कैप्टिन हेतु चर्चा की गई ।
➔ निर्णय :- उक्त शिविर जनवरी/फरवरी माह में आयोजित किये जावेंगे । इनकी तिथि का निर्धारण कर शीघ्र राज्य मुख्यालय को अवगत करावें ।
वयस्क कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान स्थिति अत्यन्त चिंताजनक पाई गई । ओ.एस. डी. द्वारा सभी ए.एस.ओ.सी. को निर्देश दिये गये कि वयस्क प्रशिक्षण प्रत्येक संभाग द्वारा अनिवार्य रूप से कराये जावे जिसमें प्रत्येक जिले की सहभागिता सुनिश्चित की जावे ।

कार्यवाही ए0एस0ओ0सी0

वयस्क प्रशिक्षण (गाइड विभाग)

दिनांक 01 अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक की गाइड विभाग की स्थिति इस प्रकार रही-

क्र.	संभाग	बेसिक						एडवांस					
		फ्लाक लीडर		गाइड कैप्टिन		रेंजर लीडर		फ्लाक लीडर		गाइड कैप्टिन		रेंजर लीडर	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	भोपाल	25	43	60	10	5	3	10	0	25	3	5	0
2	चंबल	15	33	36	0	3	2	6	0	15	1	3	0
3	ग्वालियर	25	1	60	0	3	2	10	0	25	2	5	1
4	होशंगाबाद	15	7	36	0	3	2	6	0	15	9	3	1
5	इंदौर	40	3	96	80	8	0	16	0	40	2	8	0
6	जबलपुर	35	22	84	72	7	11	16	0	35	10	7	0
7	रीवा	20	1	48	38	4	0	8	0	20	8	4	0
8	शहडोल	20	34	48	79	4	1	8	0	20	5	4	0
9	सागर	25	0	60	0	5	3	10	0	25	2	5	1
10	उज्जैन	30	0	72	45	6	1	12	0	30	6	1	12

➔ निर्देश:-1. माह जनवरी-फरवरी 12 में आयोजित शिविरों में सभी जिलों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करें । 2. सभी गाइडर्स के चार्टर व वारंट मार्च 2012 तक उपलब्ध करावे । 3. एडवांस व उससे आगे प्रशिक्षित गाइडर्स के दलों की अनिवार्यतः विजिट की जावे ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी.

III परियोजना (स्काउट/गाइड)

01. अनु.जाति विकास :-

(अ) जनजागरण शिविर -अनु.जाति विकास अंतर्गत वर्ष 2010-11 की शेष जन जागरण शिविर के अप्राप्त प्रतिवेदन संबंधी स्थिति संभागवार इस प्रकार है :-

भोपाल – थाना क्षेत्र – ग्यारसपुर, जिला विदिशा
 होशंगाबाद – थाना क्षेत्र – शाहपुर, जिला बैतूल
 इन्दौर – थाना क्षेत्र – देपालपुर-जिला इन्दौर, निवाली-जिला बडवानी,
 धरमपुरी-जिला धार
 जबलपुर – थाना क्षेत्र – सिहोरा-जिला जबलपुर, चौराई-जिला छिंदवाडा
 रीवा – थाना क्षेत्र – हनुमना-रीवा, सिहाबल-सीधी
 उज्जैन – थाना क्षेत्र – शुजालपुर-जिला शाजापुर, मंदसौर-जिला मंदसौर
→ निर्णय :- उपरोक्तानुसार शिविरो के प्रतिवेदन अप्राप्त है, संबंधित ए.एस.ओ.सी. को शिविरो आयोजित करवा कर दिनांक 15 जनवरी 2012 तक अनिवार्यतः प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही – ए.एस.ओ.सी-स्काउट/गाइड

- (ब) **कब बुलबुल शिविर-** वर्ष 2011-12 में अनु.जाति विकास के सहयोग से आयोजित होने वाले कब-बुलबुल एवं स्काउट-गाइड जॉच शिविरो की स्थिति इस प्रकार है :-
 उज्जैन – द्वितीय सोपान स्काउट-गाइड जॉच शिविर एवं द्वितीय चरण/रजत पंख जॉच शिविर उज्जैन में आयोजित शिविर का प्रतिवेदन एवं हिसाब प्राप्त हुआ है।
 शहडोल – रजत पंख एवं स्वर्ण पंख जॉच शिविर (संयुक्त) का प्रतिवेदन एवं हिसाब प्राप्त हुआ है।
→ निर्णय :-शेष संभागो को दिनांक 15 जनवरी 2012 तक शिविरो का आयोजन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही – ए.एस.ओ.सी-स्काउट/गाइड

02. **राज्य शिक्षा केन्द्र :-**

- राज्य शिक्षा केन्द्र के सहयोग से कब-बुलबुल हॉलिडे शिविरो की संशोधित तिथियों में शिविरो का आयोजन करवा कर दिनांक 15 जनवरी 2012 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये है।
 - राज्य शिक्षा केन्द्र के सहयोग से आयोजित होने वाले शिविरो के आयोजन की जानकारी से जिला परियोजना समन्वयक एवं विकासखंड स्रोत्र समन्वयक को अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये है।
- प्रोजेक्ट के शिविरो के प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित मापदंड के अनुरूप भेजने हेतु समस्त ए.एस.ओ.सी. को निर्देशित किया गया है। अन्यथा प्रतिवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।
- प्रतिवेदन चैक लिस्ट के अनुरूप ही भेजा जावें।
- शिविरो आयोजन के प्रथम दिवस की जानकारी से लिखित में रा.मु. को अवगत करावें।
→ निर्णय :-उक्त बिंदुओं पर पालन प्रतिवेदन देने हेतु निर्देश दिये गये ।

कार्यवाही – ए.एस.ओ.सी-स्काउट/गाइड

(03) **यूनिसेफ :-**

- विश्व हाथ धुलाई दिवस 2011 के देयक व प्रतिवेदन जिन जिलों से अप्राप्त हैं उन्हें अनिवार्य रूप से 10 जनवरी तक भेजने के निर्देश संभागीय अधिकारियों को प्रदान किये गये हैं।
- जिन जिलों के द्वारा प्रतिवेदन व सूची तथा देयक मापदंड अनुसार नहीं भेजे हैं उन्हें भेजे जाने की कार्यवाही की जाकर 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं साथ ही इस आशय का पत्र भी प्रदान किया गया है।

- जिन जिलों को अपूर्ण प्रतिवेदन व मदवार प्रतिवेदन जो पुनः संशोधन हेतु वापस किये गये हैं चेकलिस्ट अनुसार भेजे जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिसकी अंतिम समयसीमा 15 जनवरी 2012 तक है तत्पश्चात निर्धारित मानदंड के अनुसार प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित का वेतन रोकने की कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये जावेगे।
 - जिला इंदौर, झाबुआ, मंडला, सिवनी, सागर, धार, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर के प्रतिवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त हैं। 10 जनवरी 2012 तक हिसाब व प्रतिवेदन निर्धारित मानदंड के अनुसार प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित का वेतन रोकने की कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये जावेगे।
 - जीवन शिक्षा से जीवन रक्षा कार्यक्रम का हिसाब जिला गुना एवं शिवपुरी 15 जनवरी तक भेजने के निर्देश सहायक राज्य संगठनायुक्त – ग्वालियर को प्रदान किये गये हैं।
 - यूनिसेफ आयोजन संबंधी समस्त देयक व दस्तावेज राज्य मुख्यालय भेजने की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित हैं। इसके बाद भेजे गये देयकों प्रतिवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। समय-सीमा नोट की जावें।
 - जिन संभागों में वॉश प्रोजेक्ट अंतर्गत डायनिंग शेड व टायलेट्स निर्माण कार्य किया गया है। वहां की रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत की जावें।
- **निर्णय :- उपरोक्तानुसार निर्धारित समय सीमा में प्रतिवेदन प्रेषित न करने पर कार्यवाही की जावेगी।**

कार्यवाही – ए.एस.ओ.सी.–स्काउट/गाइड

IV पंजीयन

पंजीयन – सभागवार जहां विभागीय कर्मचारी नियुक्त है वहां के दल पंजीयन के संबंध में चर्चा हुई। जहां विभागीय कर्मचारी नहीं है उन जिलों को प्रजीयन पर चर्चा कि गई 03 वर्षों के आधार पर पंजीयन पर चर्चा कि गई जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी होने के पश्चात् भी पंजीयन की स्थिति ठीक नहीं है।

→ **निर्णय:-** जिन जिलों में डी.ओ.सी. नियुक्त है वहां से 2010-2011 का दल पंजीयन 30 जनवरी 2012 तक नहीं आता है तो आगामी माह का वेतन रोक दिया जावे। जिन जिलों से वर्ष 2010-2011 शून्य प्रतिशत है उन जिलों को (राज्य एवं सभाग स्तर पर गतिविधियों में प्रतिबन्धित) करने हेतु पत्र दिया जावे। ए.एस.ओ.सी. अपने संभाग के जिलों से पंजीयन हेतु संयुक्त संचालक/उपायुक्त/जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आ.वि से पत्र जारी करवा कर दिनांक 30 जनवरी 2012 तक उसे भेजने का दायित्व ए.एस.ओ.सी का होगा। पंजीयन की राशि प्रति माह प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जावें। साथ ही प्रतिमाह ए.एस.ओ.सी. जिलों से पंजीयन राशि भिजवाने हेतु प्रयास करें।

कार्यवाही: प्रभारी पंजीयन कक्ष/ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी.

V भवन

जिलों में स्काउट भवन के संबंध में चर्चा कि गई। भोपाल, विदिशा, सतना, रीवा, के भवन है। अन्य जिलों में भवन हेतु प्रक्रिया जारी है। होशंगाबाद, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, भोपाल के संभाग के भवन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अन्य संभागों की स्थिति भी ठीक नहीं है।

→ **निर्णय:-** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिलों व संभाग हेतु भवन व भूमि के आवटन हेतु आवश्यक रिकार्ड प्राप्त कर सी.ई.ओ./जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर कार्यवाही कर 03 माह के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। समस्त जिलों में भवन विकास समिति का गठन कर 30 जनवरी 2012 तक भेजा जाना है। जो भवन भारत स्काउट/गाइड के नाम से है उनका उपयोग गतिविधियों के संचालन हेतु किया जावे। अतः प्रत्येक ए.एस.ओ.सी. अपने संभाग अंतर्गत स्काउट-गाइड, भूमि, प्रशिक्षण केन्द्र व अन्य जो भूमि हो की जानकारी उपलब्ध करावें।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी

VI प्रशिक्षण केन्द्र

प्रशिक्षण केन्द्र के संबंध में ए.एस.ओ.सी होशंगाबाद जामटी कि स्थिति पर विशेष कर्तव्य अधिकारी महोदय द्वारा असंतोष जताया गया । समस्त ए.एस.ओ.सी ने बताया कि शिविरों से प्राप्त होने वाले शुल्क का 50 प्रतिशत राशि से राज्य मुख्यालय को भेजा जाता है। विद्युत निर्माण हेतु राशि का अभाव के कारण प्रशिक्षण केन्द्र का विकास नहीं हो पा रहा है।

→निर्णय— प्रशिक्षण केन्द्र की आय बढ़ाने हेतु ए.एस.ओ.सी प्रस्ताव तैयार कर भेजे । प्रशिक्षण केन्द्र पर अधिकतम शिविरों का आयोजन की रूप रेखा तैयार कर भेजे । विकास समिति की बैठक कर इसके विकास हेतु प्रस्ताव देवे। भूमि का नामान्तरण भू- अभिलेख नक्शा आदि इस कार्यालय को भेजने हेतु निर्देश दिए गये । अतिक्रमण को रोकने हेतु जिला प्रशासन से सम्पर्क की कार्यवाही करे तथा प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजे । जहा प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है वहा भूमि का चयन कर खसरा खतौनी नक्शा ग्राम पंचायत कि स्वीकृति आदि प्राप्त कर जिला प्रशासन से सम्पर्क कर भूमि आवटन करावे एवं इस कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त जानकारी आगामी बैठक में लेकर आवें ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी/डी.ओ.सी/जिला सचिव

VII चार्टर

संभाग द्वारा जिलो से प्राप्त पंजीयन के आधार पर बनाये गये चार्टर पर चर्चा कि गई जिसमें ग्वालियर रीवा द्वारा जानकारी शीघ्र भेजने का आवश्सन दिया अन्य संभागो में चार्टर बनाने कि प्रकिया जारी होने कि जानकारी दी गई ।

→निर्णय— इस पर निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों में बनाये गये चार्टर का विभाग वार चार्ट तैयार कर 30 जनवरी 2012 तक जानकारी राज्य मुख्यालय को भिजवाये जावे ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी

VIII वारंट

राज्य मुख्यालय से भेजे जाने वाले वारण्ट के समबन्ध में सभी ए.एस.ओ.सी ने कहा कि वारण्ट शीघ्र प्राप्त हो रहे है । प्राप्त वारण्ट कि पावती 30 जनवरी 2012 तक राज्य मुख्यालय को भेजा जाना तय किया गया है ।

→निर्णय— इस नियमित रूप से वारंट जारी होते रहे व निर्धारित समय में पावती भेजी जावे ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी

IX लेखा

1. केम्प का लेखा निर्धारित प्रक्रिया में केम्प संहिता का पूर्ण पालन करते निर्धारित प्रपत्र में लेखा प्रस्तुत करने हेतु चर्चा की गई । नियम पालन करना सुनिश्चित कराने हेतु लेखाधिकारी ने निर्देश दिये ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी

2. मासिक व्यय पत्रक मुख्यालयीन पत्र क्रमांक 7254 दिनांक 28.12.11 द्वारा मासिक व्यय पत्रक निर्धारित प्रपत्र भेजकर चाहे गये थे । उज्जैन एवं इन्दौर संभाग से मासिक व्यय पत्रक नियमित आना पाया जाता है । जबलपुर संभाग द्वारा भी मासिक व्यय पत्रक भेजे गये । परन्तु अब नियमित नहीं आ रहे है । शेष संभागो के द्वारा मासिक व्यय पत्रक भेजने का प्रयास ही नहीं किया गया । इस प्रकार पत्र क्रमांक 7254 दिनांक 28.12.11 की स्पष्ट अवेहलना है। अतः निर्णय लिया गया कि अब सभी संभाग अगले माह की 5 तारीख तक गत माह का मासिक व्यय पत्रक भेजना सुनिश्चित करें ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी

3. मुख्यालयीन पत्र क्रमांक 2947 दिनांक 12.8.11 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाकर पासबुक के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित फोटोप्रति चाही थी जो अप्राप्त है । निर्णय लिया गया एक सप्ताह में कार्यवाही पुर्ण कर प्रमाणित फोटोप्रति भेजे ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी

4. कर्मचारियों की मासिक उपस्थिति 15 तारीख से वर्तमान माह की 14 तारीख तक की उपस्थिति पत्रक 20 तारीख तक मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी

5. मुख्यालयीन पत्र क्रमांक 5800 दिनांक 5.11.11 एवं पत्र क्रमांक 5926 दिनांक 11.11.11 के द्वारा संबंधितों पर अग्रिम की देय राशि की सूचना दी गई थी । जिसका उत्तर किसी भी कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है । निर्णय लिया गया कि संबंधितों को उनके उपर देय अग्रिम का विस्तृत विवरण भेजा जावे । कार्यवाही एक सप्ताह में लेखा शाखा द्वारा पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है, अब यह कार्यवाही पुर्ण कर संबंधितों को सूचित किया जा रहा है

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी

6. सभी संभागों से अनुमोदित बजट की प्रतिलिपि चाही गई थी परन्तु किसी भी संभाग के द्वारा प्रतिलिपि नहीं भेजी गई है । सभी संभागीय अधिकारियों को शीघ्र बजट प्रतिलिपि भेजने हेतु निर्देशित किया गया ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी

7. संभागीय कार्यालयों के पूर्व में हुए अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शित आप्तियों के शीघ्र निराकरण हेतु संभागवार चर्चा की गई । सभी संभागों को निर्देशित किया गया कि उनके कार्यालय में उपलब्ध अंकेक्षण की लंबित कण्डिकाओं एवं निराकृत कंडिकाओं की जानकारी वर्षवार/अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार शीघ्र मुख्यालय को प्रदाय की जावे । सागर संभाग के जारी नवीनतम अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सागर संभाग के अधिकारी द्वारा प्राप्त न होना मीटिंग के दौरान बताया गया, परन्तु यह प्रति उनके पास उपलब्ध है । निर्देशानुसार इस प्रतिवेदन की एक प्रति श्री बी.एल.शर्मा -एस.टी.सी. मुख्यालय को वरीष्ट अंकेक्षक द्वारा प्रदाय कर दी है।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी.

X साज-सज्जा

1. **स्टीकर बकाया राशि** – स्टीकर की बकाया राशि के संबंध में वर्षवार पृथक-पृथक विवरण पत्रक तथा जिन-जिन वर्षों में जिलों को सीधे स्टीकर भेजे गये हैं उसका भी पृथक-पृथक विवरण बनाया जाना है उक्त संबंध में प्रत्येक संभाग भी अपने रिकार्ड के आधार पर वर्षवार स्टीकर प्राप्ति तथा राशि प्रेषण का विवरण तैयार करेंगे । विवरण के आधार पर राशि का मिलान कर ए.एस.ओ.सी. राशि भेजना सुनिश्चित करें ।

कार्यवाही-साज-सज्जा कक्ष/समस्त ए.एस.ओ.सी.

2. **भण्डार शाप की बकाया राशि के संबंध में** – उक्त संबंध में समस्त ए.एस.ओ.सी. को बकाया राशि शीघ्र प्रेषण का निर्देश दिए गए तथा बकाया राशि के संबंध में विसंगति दूर करने के लिए एक-एक संभाग अपने रिकार्ड के साथ राज्य मुख्यालय उपस्थित होकर खातों का मिलान करवाए जाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राज्य मुख्यालय में दो व्यक्ति पृथक से रखकर इसका समायोजन कराया जाना है ।

कार्यवाही-साज-सज्जा कक्ष/समस्त ए.एस.ओ.सी.

3. **स्काउट-गाइड साहित्य का विक्रय संबंधी** – उक्त संबंध में समस्त ए.एस.ओ.सी. को निर्देशित किया गया कि संभाग अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों में प्रतिभागियों को अधिक से अधिक साहित्य क्रय के लिए प्रोत्साहित किया जावे एवं आवश्यकता वाले साहित्य की सूची तैयार कर साहित्य उपलब्ध करावे ।

कार्यवाही- समस्त ए.एस.ओ.सी

4. **वर्ष 2011 डायरी-कैलेन्डर की राशि** – वर्ष 2011 की डायरी-कैलेन्डर की राशि प्रेषण के संबंध में समस्त ए.एस.ओ.सी. को निर्देशित किया गया । अगर समय पर राशि का प्रेषण नहीं किया गया तो ए.एस.ओ.सी. के वेतन से राशि की कटौती की जावेगी । अतः राशि शीघ्र भेजे ।

कार्यवाही- समस्त ए.एस.ओ.सी.

5. **संभागों पर बकाया राशि में विसंगति के संबंध में** – उक्त संबंध में राज्य मुख्यालय तथा संभाग के बकाया राशि के संबंध में एकरूपता नहीं पाए जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय के लिए लेखा से संबंधित जानकारी रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं पृथक से ली जाकर खातों के मिलान संबंधी कार्य सौंपा जावें। इस कार्य को समय सीमा में कराया जावे।

कार्यवाही– विक्रय प्रबंधक

6. **वर्ष 2012 के डायरी-कैलेंडर विक्रय संबंधी** – उक्त संबंध में समस्त ए.एस.ओ.सी. को निर्देशित किया गया है कि 2012 की डायरी-कैलेंडर शीघ्र ही संभागों को भेजे जा रहें हैं जिनका विक्रय कर राशि राज्य मुख्यालय को शीघ्र प्रेषित करें।

कार्यवाही– समस्त ए.एस.ओ.सी.

7. **अविक्रय योग्य सामग्री के संबंध में** – उक्त संबंध में राज्य मुख्यालय से जारी पत्र क्रमांक 7438 दिनांक 03.01.2012 में निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाना है।

कार्यवाही– समस्त ए.एस.ओ.सी.

8. **भोपाल संभाग में स्काउट शाप** – उक्त में ए.एस.ओ.सी. भोपाल को निर्देशित किया है कि भोपाल संभाग अंतर्गत स्काउट-गाइड सामग्री का विक्रय संभागीय कार्यालय भोपाल से भी किया जाना है इस संबंध में ए.एस.ओ.सी.भोपाल को सामग्री की मांग देने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यवाही– ए.एस.ओ.सी. भोपाल

9. **शाप सामग्री बाबत** – सभी संभाग एवं जिलों में स्काउट/गाइड सामग्री का विक्रय कम हुआ है। अतः प्रत्येक जिले में 01 लाख की राशि के मान से सामग्री के विक्रय हेतु मांग पत्र राशि के साथ में भेजे अन्यथा सम्बन्धित ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. को दोषी मानकर जिम्मेदारी का निर्धारण किया जावेगा।

कार्यवाही– ए.एस.ओ.सी.,डी.ओ.सी.

XI चुनाव

जिला संघों में चुनाव सम्बन्धी चर्चा करते हुये संयुक्त राज्य सचिव ने जिला व ब्लाक संघ के निर्वाचन सम्बन्धी निम्न जानकारी प्रस्तुत की –

क्र.	संभाग	निर्वाचित जिले	06 माह की अवधि शेष	जिले जहाँ निर्वाचन नहीं है।
01	भोपाल	रायसेन		भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़
02	होशंगाबाद	हरदा	बैतूल	होशंगाबाद
03	इंदौर	झाबुआ, खरगौन	इंदौर	धार, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर
04	उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम		देवास
05	ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर	शिवपुरी	
06	मुरैना		मुरैना	भिंड, श्योपुर
07	सागर	छतरपुर	दमोह	सागर, पन्ना, टीकमगढ़
08	रीवा	सतना, सीधी		रीवा, सिंगरौली
09	शहडोल	डिंडोरी		शहडोल, अनूपपुर, उमरिया
10	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा		सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर

→ निर्देश:—जिन जिलों में तदर्थ समिति है तथा जहाँ निर्वाचन प्रक्रिया में अथवा शेष है वे राज्य मुख्यालय द्वारा निर्देशित समय सीमा में निर्वाचन करावें।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी

XII ग्रेडिंग

माह अप्रैल से सितंबर 2012 तक छःमाही एवं विगत तीन माह का जिलों की ग्रेडिंग का तुलनात्मक पत्रक संयुक्त राज्य सचिव द्वारा सभी ए.एस.ओ.सी. के समक्ष में प्रदर्शित किया गया ।

→निर्देश:-इस सत्र के शेष रहे कार्यक्रम माह मार्च 2012 तक पूर्ण करा लिये जावें । प्रतिवेदन सप्रमाण व वितरण के साथ प्रस्तुत होने पर ग्रेडिंग में सम्मिलित हो सकेंगे ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी.

XIII दृणकीतिक चीजला

→ निर्देश:-राज्य मुख्यालय से जारी संभाग व जिलो अधिकारियों व यूनिट लीडर के दायित्व समय-सीमा में पूर्ण करावें एवं संभाग स्तर पर जानकारी एकत्र कर संभागवार ही जानकारी 05 फरवरी 2012 तक राज्य मुख्यालय को प्रेषित करें ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी.

XIV पत्रिका "बालचररवि"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने मासिक पत्रिका "बालचर रवि" के बारे में निम्न निर्देश दिये गये -

- 1 ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. को माह में 10 वार्षिक 01 आजीवन सदस्य बनाने अनिवार्य होंगे । तथा कम से कम 500 रुपये का विज्ञापन प्रत्येक माह राज्य मुख्यालय की ओर भेजना अनिवार्य होगा आदेश जारी करे ।
- 2 ए.एस.ओ.सी. को प्रत्येक जिले के स्कूलों में पत्रिका को अनिवार्य करने के लिए संभागीय कमिश्नर राजस्व, संयुक्त संचालक शिक्षा, उपायुक्त आदिवासी विकास को पत्र लिखकर निवेदन करे एवं स्वयं प्रत्येक जिले के जिला कमिश्नर एवं जिला संयोजक आदिम जाति विभाग से मिले और पत्रिका की सदस्यता बढ़ाने के संबंध में बात करें तथा मासिक प्रतिवेदन लक्ष्य पूर्ति के आधार पर मान्य होगा । आदेश जारी करे ।
- 3 ए.एस.ओ.सी. प्रत्येक माह की 20 तारीख तक समाचार और फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से भेजे ।
- 4 समस्त डी.ओ.सी./ए.एस.ओ.सी. पुराने रसीद कट्टे और नवीन रसीद कट्टे जो कट गये है एवं इसका परीक्षण कर राज्य मुख्यालय भेजें ।
- 5 डी.ओ.सी. और ए.एस.ओ.सी. शिविर अनुभव/ संस्मरण एवं उनके संभाग अन्तर्गत वयोवृद्ध नागरिक/ समाज सेवी/स्काउटर-गाइडर का साक्षात्कार प्राप्त कर 20 तारीख के पहले राज्य मुख्यालय को प्रकाशित करने हेतु प्रेषित करे ।
- 6 ए.एस.ओ.सी. जिला स्तर पर संवाददाता का नियुक्त करने है, जहां डी.ओ.सी. नहीं है वहां संवाददाता का कार्य कौन करेगा जानकारी प्राप्त करें । इस हेतु वह शीघ्र नाम भेजे ।

कार्यवाही: ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी.

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र

भोपाल दिनांक 25.01.2012

पृष्ठ क्रमांक/8016 /समीक्षा बैठक/11

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

01 माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र. ।

02 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र. ।

03 संयुक्त राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र. ।

04 एस.ओ.सी. (परियोजना), रा.मु., भोपाल म.प्र. ।

05 राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)/राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) रा.मु. भोपाल ।

06 समस्त शाखा प्रभारी राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र. ।

07 समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)/जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) की ओर भेजकर निर्देश है कि बिंदुवार आवश्यक जानकारी/पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजे ।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र

